न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**865/2026**

सावेज पुत्र इरफान, निवासी ग्राम तित्तरवाडा, थाना झिंझाना, जिला शामली।

.....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

राज्य **.....विपक्षी,**

मु0अ0सं0 822/2025
धारा 109(1),308(5) बी.एन.एस.
थाना कैराना, जिला शामली।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**श्री मनीष कौशिक,**
राज्य– **जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक।**
दिनांकः–10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त सावेज की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता खालिदा पत्नी इरफान द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदक/अभियुक्त की पैरोकार है तथा तथ्यों से परिचित है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सरवर उर्फ कल्लू द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 31.12.2025 को समय करीब 19:45 बजे वह अपने गांव तीतरवाडा में अपनी कार से अपने गांव के मनव्वर व अपने भाई नदीम के साथ अपने घर जा रहा था। जब वह मेन रोड से अपने घर के लिए अंदर गाड़ी लेकर घुस रहा था कि तभी सामने से एक मोटरसाईकिल पर उसके गांव के सावेज व सूफियान एवं एक अज्ञात व्यक्ति आए, गाड़ी में मोटरसाईकिल से टक्कर मारी और उस पर जान से मारने की नीयत से एक दम कार के सामने पिस्टल से गोली चला दी। वह तुरन्त नीचे की तरफ गाड़ी में झुक गया, एक गोली उसके हाथ में लगी । गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए तो वे लोग अपनी मोटरसाईकिल लेकर भाग गए। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर संबधित थाने पर सावेज, सूफियान व एक अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 109(1) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है, उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है, जैसा कि मामले की प्राथमिकी में दर्शाया गया है। अभियुक्त का कथित घटना व घटनास्थल से कोई वास्त मतलब नही है। उसने वादी पर जान से मारने की नीयत से कोई फायर नहीं किया गया है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुई है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा पर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किए जाने का आरोप है। वादी मुकदमा को चोट आना बताया गया है, जिसकी आघात आख्या दिनांकित 31.12.2025 में उसके हाथ की इंडैक्स फिंगर में एक चोट, सख्त कुन्दालय से आना दर्शाया गया है। मामले में बाद विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इसके अतिरिक्त सहअभियुक्त सूफियान की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय जमानत का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सावेज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000/–(रू0 पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–10.06.2026

(प्रभारी)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।